कार्यालय प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सुकमा जिला – सुकमा

Phone no:- 07864-299155, Email ID- emrssukma2022@gmail.com,Udise Code:- 22210204046
CBSE Affiliation No:- 3320279, School Code:- 17309, Website:- www.emrssukma.in

--::: निविदा सूचना :::-

क्रमांक/प्राचार्य/स्टोर/निविदा/2025-26/843 सुकमा, दिनांक 05/06/2025

राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नई दिल्ली द्वारा संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सुकमा/कोंटा/छिंदगढ़, जिला सुकमा के संचालन हेतु शिक्षण सत्र 2025–26 हेतु पंजीकृत फर्मो/आपूर्तिकर्ताओं से सील बंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

निविदा फार्म क्रय करने की अंतिम तिथि :– 30.06.2025 समय संध्या 04:00 बजे तक
निविदा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि :– 05.07.2025 समय संध्या 04:00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि :– 07.07.2025 समय प्रातः 11:00 बजे से

क्र0	सामग्री का नाम	अमानत राशि/सुरक्षा निधि
1	खाद्य सामग्री	220000.00
2	दैनिक उपयोग की सामग्री	22000.00
3	सब्जी सामग्री	22000.00
4	फल सामग्री	22000.00
5	मांसाहार सामग्री	22000.00
6	स्टेशनरी सामग्री	28000.00
7	बाल कटिंग	5000.00
8	बेकरी एवं स्वीट	22000.00
9	दवाई सामग्री	12000.00

उपरोक्तानुसार विस्तृत निविदा संबंधी विस्तृत जानकारी, निविदा फार्म, नियम–शर्तें इत्यादि विद्यालय की वेबसाइट www.emrssukma.in से निविदा फार्म डाउनलोड कर निविदा फार्म के मूल्य 500/– रूपये के डिमांड ड्राफ्ट (नोटः–**प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सुकमा** के नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनेगा) को सम्मिलित करते हुए अथवा कार्यालय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सुकमा में कार्यालयीन अवधि में राशि रूपये 500/– के डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत कर प्राप्त की जा सकती है एवं पूर्ण रूपेण भरी हुई मुहरबंद निविदा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सुकमा के कार्यालय में दिनांक 05.07.2025 को समय सायं 04:00 बजे तक Technical Bid and Financial Bid पृथक–पृथक लिफाफे में **केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से** जमा कराया जा सकता है। प्राप्त निविदाएं दिनांक 07.07.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे क्रय समिति एवं उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोला जाएगा।

निविदा की शर्तें निम्नानुसार है :–

1. संलग्न प्रपत्र में अंकित वस्तुओं/सामग्रियों की आपूर्ति हेतु एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सुकमा/कोंटा/छिंदगढ़ की जिला समिति एवं विद्यालय क्रय समिति, जिला सुकमा (छ.ग.) की ओर से अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 05.07.2025 को अपरान्ह 04:00 बजे तक दो लिफाफा पद्धति के माध्यम से सील बंद निविदाएं इस कार्यालय में पंजीकृत (रजिस्टर्ड) डाक द्वारा आमंत्रित की जाती है। भाव पत्र अच्छी तरह सीलबंद हो, जिसके उपर निविदा (जिस सामग्री हेतु निविदा भरी जा रही हो उसका नाम) स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना चाहिए। प्राप्त सील बंद निविदाएं कार्यालय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सुकमा में दिनांक 07.07.2025 को समय प्रातः 11:00 बजे क्रय समिति एवं उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोला जाएगा।
2. निविदा दो लिफाफा पद्धति के माध्यम से जमा किया जाना अनिवार्य होगा। प्रथम लिफाफा तकनीकी बोली का होगा जिसमें वांछित दस्तावेज तथा निर्धारित अमानत राशि/सुरक्षा निधि का डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा उससे छूट संबंधी प्रमाण पत्र, निविदा दाता का निविदा की समस्त शर्तो के स्वीकार होने संबंधी घोषणा पत्र होगा। द्वितीय लिफाफा वित्तीय बोली का

Scanned with OKEN Scanner

होगा। तकनीकी बोली का लिफाफा मान्य होने पर वित्तीय बोली का लिफाफा खोला जावेगा।

3. निविदा दर सूची में मांगी गई वजन/ब्राण्ड/मात्रा के अनुसार ही दर भरें। अपनी ओर से मात्रा, वजन, ब्राण्ड में संशोधन किये जाने से उन्हें तुलनात्मक पत्रक में शामिल नहीं किया जा सकेगा व अमान्य कर दिया जाएगा।
4. निविदा दरें विषयांकित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, सुकमा, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कोटा, कन्या एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बालाटिकरा छिंदगढ़ जिला सुकमा एफ० ओ०आर० साथ में वस्तु एवं सेवाकर (जी. एस.टी.) तथा स्थानीय कर आदि सम्मिलित होना चाहिये एवं सामग्री निर्धारित संस्था में पहुंचा कर देना होगा। इस हेतु किसी भी प्रकार का परिवहन व्यय का भुगतान नहीं किया जावेगा।
5. खरीदी गयी सामग्री का भुगतान केवल PFMS के माध्यम से ही किया जाएगा। निविदादाता को वार्षिक कुल भुगतान राशि रूपये 2,50,000.00/- से अधिक होने पर प्रत्येक भुगतान के समय जी.एस.टी., टीडीएस टैक्स नियमानुसार कटौती की जायेगी।
6. जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति एवं क्रय समिति न्यूनतम दरें स्वीकृत करने को बाध्य नहीं है और अधोहस्ताक्षरकर्ता को निविदा को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार करने या ना करने का अधिकार प्राप्त है।
7. क्रय समिति यदि आवश्यक समझे, दरें बाजार मूल्य से अधिक ज्ञात हो तो सामग्री के मूल्यों पर सौदेबाजी (नेगोशियेशन) हेतु सभी निविदा दाताओं को बुला सकती है और सभी निविदा दाताओं को भाग लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी निविदाएं अस्वीकृत की जा सकती हैं।
8. निविदादाता द्वारा दर्शाए गए फर्म का पता स्पष्ट होना चाहिए। देखा जाता है कि निविदा दाता दुकान का रजिस्ट्रेशन करवा के निविदा प्राप्त कर लेता है लेकिन वास्तव में उसकी कोई दुकान या फर्म नहीं होती है। दुकान/फर्म न होने की स्थिति में निविदा निरस्त की जा सकती है।
9. सील बंद लिफाफे पर सामग्री आपूर्तिकर्ता का नाम लाल इंक से अंकित करें साथ में डी.डी. नंबर एवं अमानत राशि स्पष्ट लिखें।
10. निविदा दाताओं से अपेक्षा की जाती है कि समस्त सामग्रियों का मूल्य भरा जाये अन्यथा अस्वीकार किया जा सकता है। एम.आर.पी. में छूट वाली सामग्री में प्रतिशत round off भी लिखा जाये।
11. निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकर्ता का क्रेता संस्था से एक अनुबंध होगा और निविदा दाता निविदा में दी गई शर्तों, सामान्य वित्तीय नियमों एवं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सुकमा/कोंटा/छिंदगढ़ की जिला समिति एवं विद्यालय क्रय समिति, जिला सुकमा (छ.ग.) के नियम व शर्तों के पालन हेतु बाध्य होगा और जी०एफ०आर० का पालन अनिवार्य होगा।
12. निविदा दाता द्वारा निविदा के साथ निर्धारित अमानत राशि (ई०एम०डी०) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सुकमा, जिला सुकमा के पक्ष में देय होगा, अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। यह अमानत राशि बाद में निविदा अस्वीकृत होने या स्वीकृत होने पर अनुबंध की निर्धारित समयावधि पूर्ण होने पर वापस कर दी जाएगी। अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर यह अमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।
13. यदि निविदा दाता निर्धारित समय में सामग्री आपूर्ति करने में असफल होता है तो अधोहस्ताक्षरकर्ता बाजार से क्रय करने और शेष अनुबंध दूसरे फर्म से पूरा करने के लिए स्वतंत्र है, तथा अंतर राशि को जमा अमानत/सुरक्षा राशि अथवा भुगतान से काटने हेतु स्वतंत्र है। शेष राशि उसे वापस कर दी जाएगी। अंतर राशि अधिक होने पर निविदा दाता द्वारा अपोहस्ताक्षरकर्ता को भुगतान करना होगा। यदि दोबारा आपूर्ति समय एवं मांग अनुसार सामग्री आपूर्ति नहीं की जाती है तो अमानत राशि/सुरक्षा निधि राजसात कर फर्म

Scanned with OKEN Scanner

को काली सूची में डालने की कार्यवाही की जाएगी। एक बाद अवसर देने के बाद दोबारा अवसर नहीं दिया जाएगा।

14. सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
15. सामान्यतः बिल प्राप्ति के उपरान्त कम से कम भुगतान में 15 से 45 दिनों का समय लग सकता है। इसके पूर्व किसी तरह का दबाव मान्य नहीं होगा। विद्यालय में फण्ड उपलब्ध न होने की स्थिति में इससे अधिक समय भी लग सकता है। भुगतान दिये गये अवधि से पहले भी की जा सकती है। परन्तु इसके लिए विद्यालय में फण्ड की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है। निविदा दाताओं को विद्यालय को सामग्री के साथ ही बिल उपलब्ध कराना होगा विलम्ब होने की स्थिति में भुगतान में होने वाली देरी की जिम्मेदारी निविदा दाताओं की होगी।
16. निविदा दाता द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री की गुणवत्ता की जांच जमा किए गए नमूना से मिलान कर किया जायेगा। यदि दोनों में अंतर पाया जाता है तो उसे वापस कर दिया जाएगा और उसमें होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधित प्रदायकर्ता से की जाएगी।
17. निविदा दरें 30 अप्रैल 2026 तक मान्य होंगी। ब्राण्डेड सामग्री के साथ पैकेट में यदि कोई निःशुल्क उपहार योजना है, तो उसे निविदा दाता को सामग्री के साथ निःशुल्क देना होगा और उसे बिल में भी अंकित करना होगा।
18. प्रत्येक वस्तु एवं कार्यों के लिए तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली का पृथक–पृथक लिफाफा अमानत राशि एवं वांछित अभिलेख के साथ संलग्न कर जमा करना होगा।
19. निविदादाता को समस्त सामग्रियों का नमूना निविदा खुलने की तिथि के पूर्व लाकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, नमूना का प्रदर्शन स्वयं करना होगा। बिना नमूना के निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी। सामग्री का नमूना निविदा दाता को बिना भुगतान के जमा करना होगा एवं निविदा खुलने के स्थान तक आवश्यकतानुसार पहुंचाना होगा एवं स्वीकृत नमूना वापस नहीं किए जाएंगे।
20. निविदा प्रपत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।
    - जी०एस०टी० पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं 06 माह के भीतर की जी.एस.टी. रिटर्न की प्रति। जिसमें कोई बकाया अंकित न हो।
    - फर्म/कम्पनी/संस्थान द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 का आयकर विवरण।
    - अमानत राशि/सुरक्षा निधि का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो प्राचार्य, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सुकमा, जिला सुकमा के पक्ष में हो।
    - फर्म/कम्पनी/संस्थान/व्यक्ति का पंजीयन प्रमाण पत्र।
    - फर्म/कम्पनी/संस्थान/व्यक्ति/साझेदार का पहचान प्रमाण–पत्र।
    - पैन नंबर।
    - फर्म अथवा कम्पनी के पंजीकरण के समय जी.एस.टी. विभाग को आवेदित फर्म के व्यवसाय से संबंधित एच.एस.एन. कोड संबंधी प्रमाण–पत्र ।
    - निविदाकार यदि किसी वस्तु का अधिकृत विक्रेता है तो सक्षम स्तर पर जारी ऑथराईजेशन प्रमाण पत्र।
    - निविदा प्रपत्र, शर्तें एवं सामग्री सूची प्राप्त करने हेतु डिमाण्ड ड्राफ्ट दिनांक 30/06/2025 तक के मान्य होंगे।
21. सब्जी, फल, बेकरी, मांसाहार, हेयर कटिंग में जी०एस०टी० पंजीयन अनिवार्य नहीं है किन्तु जी0एस0टी0 वाले फर्म से प्राप्त प्रस्ताव को प्राथमिकता दी जायेगी।
22. निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार क्रय समिति के पास सुरक्षित है।

Scanned with OKEN Scanner

23. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में निविदा हेतु गठित क्रय समिति एवं कलेक्टर महोदय द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

प्राचार्य / सदस्य सचिव
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जिला
समिति, जिला–सुकमा (छ0ग0)

प्राचार्य
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय
सुकमा

Scanned with OKEN Scanner